संख्या-47/2016/305/12-3-2016-100(61)/2013

प्रेषक

इन्द्रदेव पटेल**,**
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक: 22 मार्च, 2016**

विषयः- इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकनॉमिक एण्ड स्टेटिक्स योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्रांक-एस.-2171/लेखा/वित्तीय स्वीकृति/2015-16, दिनांक 24.02.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष-2015-16 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकनॉमिक एण्ड स्टेटिक्स योजना के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार रू0-1399 हजार (रू0 तेरह लाख निन्यानबे हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि हजार रू**0** में

क्र.सं.	मानक मद	वर्ष **2015-16** में बजट प्राविधान	स्वीकृत धनराशि
1	01-वेतन	30647	-
3	03-मंहगाई भत्ता	36776	-
4	04-यात्रा भत्ता	5000	150
5	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	100	-
6	06-अन्य भत्ते	5000	-
7	08-कार्यालय व्यय	1500	200
8	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1500	150
9	15-मोटर गाड़ी अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	700	300
10	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1078	-
11	42-अन्य व्यय	900	-
12	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	200	-
13	45-अवकाश यात्रा व्यय	100	-
14	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1000	-
15	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी पर क्रय	900	249
16	49-चिकित्सा व्यय	800	350
17	51-वर्दी व्यय	10	-
	योग	**86211**	**1399**

(रू0 तेरह लाख निन्यानबे हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.nic.in

2- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकनॉमिक एण्ड स्टेटिक्स योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन तथा पत्र संख्या-2-3/2015-ए.एस.आई.ई.एस., दिनांक 21.4.2015 द्वारा जारी प्रदत्त प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।

3- योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर त्रैमासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति सहित शासन/भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक द्वारा द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

4- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़वा मिलता है।

5- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

6- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-961/दस-2012-10(28)/2011, दिनांक 31 जनवरी, 2013 द्वारा वेतन/पेंशन के अतिरिक्त प्रदेश के कोषागारों में समस्त प्रकार के अन्य भुगतान (इम्प्रेस्ट आदि से संबंधित अपवादों को छोड़ते हुए) ई-पेमेंट के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था दिनांक 1.4.2013 से किये जाने का निर्णय लिया गया है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय। वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-।।, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक- 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें -0103-इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सेस, इकनामिक एण्ड स्टेटिक्स (के.100/रा. 0-के.) के अन्तर्गत उपरोक्त तालिका में अंकित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.3.2015 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
विशेष सचिव।

<u>सं**0-305(1)/12-3-2016-**तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- संयुक्त सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5- अवर सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
8- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनय शंकर पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in